(ग) यदि हां, तो इसके लिए कितनी धन-राशि आबंटित की गई है और इसके कब तक शुरू किए जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री अजय सिंह) (क) से (ग) उड़ीसा में निर्माण के लिए निम्नलिखित नई लाइनें अनुमोदित की गई हैं ।

1990-91 के दौरान आबंटित धनराशि

1. कोरापुट-रायगडा 70.00 करोड़ रुपए

2. तालचेर-सम्बलपुर 25.00 करोड़ रुपए

इस समय यह बताना कठिन है कि रूपसा-बांगरीपोसी लाइन के आमान परिवर्तन का कार्य कब शुरू होगा । चालू वर्ष में इस परिवर्तन के लिए कोई आबंटन नहीं किया गया है ।

आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मध्य प्रदेश को आबंटित धनराशि

3661. **कुमारी सईदा खातून :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान छोटी लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित करने के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(ख) गोंदिया से जबलपुर तक की छोटी लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित करने के लिए क्या प्रावधान किया गया है; क्या इस योजना अवधि के दौरान इस पर निर्माण कार्य किए जाने का विचार है; यदि हां, तो इस लाइन पर कब तक काम शुरू किए जाने की संभावना है; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अजय सिंह) : (क) मध्य प्रदेश में मीटर लाइन से बड़ी लाइन में कोई आमान परिवर्तन परियोजना प्रगति पर नहीं है ।

(ख) गोंदिया-जाब्लपुर छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने की परियोजना को अनुमोदित नहीं किया गया है । इस समय यह बताना कठिन है कि यह परियोजना कब शुरू की जाएगी ।

बंधुआ मजदूर

3662. **कुमारी सुशीला तिरिया**
कुमारी संईदा खातून

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने राज्यों में अभी तक बंधुआ मजदूर प्रथा जारी है;

(ख) मध्य प्रदेश और उड़ीसा में ऐसे जिले कितने हैं जहां इस संबंध में सर्वेक्षण किया गया है और इन जिलों में ऐसे बंधुआ मजदूरों की संख्या कितनी है जिन्हें मुक्त कराया गया है; और

(ग) ऐसे बंधुआ मजदूरों की संख्या कितनी है जिन्हें अभी मुक्त कराया जाना शेष है और सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

श्रम एवं कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (ग) 12 राज्यों अर्थात् आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, और राजस्थान से बंधुआ श्रमिकों के होने की सूचना दी गई है । इनमें से गुजरात और केरल की राज्य सरकारों ने सूचित किया है कि 31 मार्च, 1990 की स्थिति के अनुसार पता लगाए गए सभी बंधुआ श्रमिकों को पुनर्वासित किया जा चुका है । बंधित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम 1976 के अधीन बंधुआ श्रमिकों का पता लगाने, उन्हें मुक्त कराने और उनके पुनर्वास का उत्तरदायित्व संबंधित राज्य सरकारों का है । अधिनियम के उपबंधों के प्रवर्तन की श्रम मंत्रालय द्वारा समय-समय पर पुनरीक्षा की जाती है और राज्य सरकारों को परामर्श दिया जाता है कि वे बंधुआ